प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(May, 2020)

*****

1. फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत प्रगति

1.1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) : 1,03,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है, जैसाकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर सूचित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक 70,000 के लक्ष्य की तुलना में 29 मई, 2020 तक इनमें से 40,810 एचडब्ल्यूसी क्रियाशील हो चुके हैं।

1.2. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत मई, 2020 में हुई प्रगति निम्नवत् है:

मैट्रिक	01.05.2020 की स्थिति के अनुसार	01.06.2020 स्थिति के अनुसार	प्रगति
जारी ई-कार्ड*	7,77,75,402	7,80,09,258	2,33,856
अस्पताल में भर्ती	98,30,099	1,02,43,124	4,13,025
अस्पताल में भर्ती के लिए अधिकृत राशि	13,213.5 करोड़ रु.	13,628.4 करोड़ रु.	414.9 करोड़ रुपये
पैनलबद्ध अस्पताल	21,119	22,109	990

टिप्पणी : उपर्युक्त जानकारी राज्य योजनाओं के साथ मिलकर पीएमजेएवाई के तहत समर्थित लाभार्थियों से संबंधित है।

*पीएमजेएवाई लाभार्थियों के लिए राज्यों द्वारा अपनी स्वयं की सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर 4,68 करोड़ अतिरिक्त राज्य कार्ड बनाए गए हैं।

2. कोविड-19 वैश्विक महामारी :

2.1. कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रबंधन से संबंधित बुनियादी अवसंरचना का सृजन निम्नवत् है:

श्रेणी	सुविधा केंद्रों की सं.	कुल ऑइसोलेशन बिस्तर	ओ 2 समर्पित बिस्तर	कुल आईसीयू बिस्तर	वैंटिलेटरों की संख्या
श्रेणी I – कोविड अस्पताल (डीसीएच)	1094	191202	83196	24480	13467
श्रेणी. II –समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी)	2651	159036	60015	12791	5160
कुल	**3745**	**350238**	**143211**	**37271**	**18627**
श्रेणी III – समर्पित कोविड केंद्र/ डीसीसीसी	8189	749909	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल योग	**11934**	**1100147**	**143211**	**37271**	**18627**

2.2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय टीमों के साथ परस्पर वार्तालाप

- कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 1,4,6,7,8,9 तथा 10 मई, 2020 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कांफ्रेंसें की गई थीं।
- बुरी तरह से प्रभावित राज्यों/शहरों/जिलों के प्रधान सचिवों (स्वास्थ्य) /नगर पालिका आयुक्तों के साथ सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में दिनांक 12,16,22,23 तथा 25 मई, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसे की गई थीं।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) भारत सरकार ने भी राज्यों में तैनात केन्द्रीय टीम के सदस्यों के साथ दिनांक 14 मई, 2020 को बैठक का आयोजन किया गया।

2.3. तकनीकी परामर्श और बैठकें

- देश में कोविड-19 प्रकोप की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालने के लिए सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) की अध्यक्षता मे दिनांक 6 मई, 2020 को जन स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया।
- देश में कोविड-19 प्रकोप की वर्तमान स्थिति, उसके लिए जन स्वास्थ्य तैयारी तथा प्रतिक्रियात्मक उपायों की समीक्षा करने तथा देश में कोविड-19 प्रकोप के प्रबंधन से संबंधित तकनीकी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए डीजीएचएस की

अध्यक्षता में मई, 2020 में संयुक्त निगरानी समूह की 8 बार बैठक आयोजित की गई थी। जेएमजी की बैठकों के दौरान न्यायालय मामलों, अधिप्राप्ति मामलों से संबंधित तकनीकी मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

- कोविड-19 के मरीजों के प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन की अनुमानित आवश्यकता संबंधी निर्णय लेने के लिए डीजीएचएस की अध्यक्षता में दिनांक 6 मई और 7 मई, 2020 को विशेषज्ञों की बैठक का आयोजन किया गया।
- नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉलों में बेहतर परिपाटियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए, डीजीएचएस की अध्यक्षता में दिनांक 23 मई, 2020 को विशेषज्ञों (केन्द्र, राज्यों के साथ-साथ प्रतिष्ठित निजी प्रैक्टशिनरों) के साथ बैठक आयोजित की गई।

2.4. कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित निम्नलिखित मार्गदर्शी दस्तावेज/दिशा निर्देश/एडवाइजरियां (विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों द्वारा जारी की गईं के अतिरिक्त) जारी की गई हैं:

(i) 01.05.2020 – व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में अतिरिक्त दिशा निर्देश (गैर-कोविड क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए निर्धारित दृष्टिकोण) [15 मई, 2020 को पुन: जारी किए गए]

(ii) 06.05.2020 – कोविड परिचर्या केंद्र, के रूप में रेलवे कोच : कोविड-19 के संदेहास्पद पुष्ट मामलों के समुचित प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शी दस्तावेज ।

(iii) 07.05.2020- निजी सुविधा केंद्रों में विदेश से लौटे/ संपर्क में आए व्यक्तियों के क्वारंटीन/ संदिग्ध या प्रतिपुष्ट मामलों के आइसोलेशन के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश

(iv) 08.05.2020- कोविड-19 के लिए संशोधित डिस्चार्ज नीति

(v) 10.05.2020- बहुत हल्के/ प्रारंभिक लक्षणों वाले कोविड-19 मामलों को घर में ही अलग रखने (होम आइसोलेशन) हेतु संशोधित दिशा-निर्देश

(vi) 10.05.2020- संशोधित डिस्चार्ज नीति पर अक्सर पूछे जाने वाले अद्यतन प्रश्न

(vii) 15.05.2020- निजी सुरक्षात्मक उपस्कर (पीपीई) के युक्तिसंगत प्रयोग (गैर कोविड क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था) पर अद्यतन अतिरिक्त दिशा निर्देश

(viii) 14.05.2020- आरटी-पीसीआर आधारित पूल्ड सैंपलिंग के लिए दिशा निर्देश

(ix) 15.05.2020- अस्पताल के कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य पर परिचर्या कर्मियों की व्यवस्था के लिए परामर्शी (18.06.2020 को संशोधित करके पुनः जारी किया गया)

(x) 16.05.2020- कोविड-19 के लिए अद्यतन क्लस्टर कंटेनमेंट योजना (संस्करण 2)

(xi) 16.05.2020- कोविड-19 के बड़े प्रकोपों के लिए अद्यतन कंटेनमेंट योजना (संस्करण 3)

(xii) 16.05.2020- शहरी आबादियों में कोविड-19 के लिए तैयारी और अनुक्रिया

(xiii) 18.05.2020- भारत में कोविड-19 की जांच के लिए संशोधित रणनीति

(xiv) 18.05.2020- कार्यस्थल सेटिंग्स में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपायों पर दिशा निर्देश

(xv) 19.05.2020- कोविड-19 की स्थिति में दंत्य पेशेवरों के लिए दिशा निर्देश

(xvi) 22.05.2020- कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) के प्रयोग पर संशोधित परामर्शी

(xvii) 24.05.2020- अंतरराष्ट्रीय आगमनों के लिए दिशा निर्देश

(xviii) 24.05.2020- घरेलू यात्रा (वायु/ ट्रेन/ अंतर-राज्य बस यात्रा) के लिए दिशा निर्देश

(xix) 27.05.2020- नेत्र सुरक्षा- चश्मों की री-प्रोसेसिंग और पुनः प्रयोग पर परामर्श

2.5. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के आयोजन के हिस्से के रूप में किए जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में 31.05.2020 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा। इन आयोजनों में कोविड-19 महामारी के चलते तंबाकू उत्पादों के प्रयोग से इस संक्रमण के बढ़ने की संभावनाओं पर सोशल और डिजीटल मीडिया के माध्यम से आईईसी (सूचना, शिक्षा, संचार) क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया जाना था।

2.6. 13 मई, 2020 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए जिनमें यह सुनिश्चित किया जाना था कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के क्रियाकलापों में कोई रुकावट नहीं आएगी और टीबी सेवाओं का स्पैक्ट्रम निर्बाध रूप से चलता रहेगा।

2.7. कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम हेतु भिन्नक रणनीतिक दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देकर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया ताकि विभिन्न जोनों में कोविड-19 की वास्तविक स्थिति के अनुसार एनएलईपी के तहत अनिवार्य सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।

2.8. कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के रूप में आम जनता में लॉकडाउन के दौरान 'नशीली दवा और शराब के प्रत्याहरण (विड्ड्राल) के प्रबंधन' से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए 14.05.2020 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा निर्देश भेजे गए।

2.9. एफएसएसएआई ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि सार्स-कोरोना-2 वायरस खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैला हो। यह स्पष्टीकरण इन रिपोर्टों के मद्देनजर जारी करना आवश्यक था कि कुछ खाद्य पदार्थ विशेषकर फ्रोजन खाद्य पदार्थों के तथाकथित परिवहन, भंडारण या विक्रय की अनुमति इस अवधारणा पर नहीं दी गई थी कि ये पदार्थ वायरस फैला सकते हैं।

2.10. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के 5वें दौर के सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य मई, 2020 में रुका रहा।

3. सीजीएचएस के तहत जारी परामर्शी: केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) के बारे में निम्नलिखित परामर्शियां/ आदेश जारी किए गए हैं:

(i) सीजीएचएस पेंशनर लाभार्थी जो वार्षिक आधार पर अंशदान दे रहे हैं और केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी जो 31.03.2020 और इसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए सीजीएचएस कार्ड की 31 मार्च, 2020 को पूरी होने वाली वैधता को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) चिरकालिक रोगों के लिए दवा ले रहे सीजीएचएस लाभार्थियों को 31 जुलाई, 2020 तक अभिनिर्धारित नुस्खे के आधार पर दवाएं खरीदने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उनके पास सीजीएचएस से प्राप्त प्रमाण पत्र न हो या अन्यथा। तत्संबंधी अनुबंध व शर्तें दिनांक 27.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत विहित की गई हैं। सीजीएचएस आरोग्य केंद्र संचालनरत हैं और सीजीएचएस लाभार्थियों के पास यह भी विकल्प है कि वे बाजार से दवाई खरीदने के बजाय सामान्य रीति के अनुसार सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों से भी दवाएं ले सकते हैं।

4. विधायी उपाय और विनियम:

4.1 माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने धुंआ रहित तंबाकू उत्पादों के थूकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है। लगभग 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिसूचना जारी करके सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है।

4.2 माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नशीली दवाओं की लत के संबंध में मानक उपचार के दिशा निर्देश अनुमोदित किए हैं।

4.3 'स्वास्थ्य में संसाधनात्मक निवेशों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक ढांचे' पर सचिव (एचएफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में उप-समूह-10 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई थी।

4.4 राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के मूल्यांकन के लिए सचिव (एचएफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक 27.05.2020 को आयोजित हुई।

4.5 शहद के उत्पादन में गोल्डन सिरप/इनवर्ट शुगर सिरप/राइस सिरप के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एफएसएसएआई ने दिनांक 20.05.2020 के आदेश द्वारा उनके निर्यात पर निर्देश जारी किए हैं।

5. मुख्य आयोजन (इवेंट्स):

5.1 विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 2020 पर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव विशेष रूप से कोविड-19 के साथ तंबाकू के उपयोग के संबंध के बारे में मास मीडिया में जागरूकता अभियान चलाया गया।

5.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में मंत्रालय ने 18-19 मई, 2020 के दौरान वर्चुअल पद्धति में आयोजित 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) में भाग लिया। बैठक के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया से भारत को तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया।

5.3 भारत ने 22 मई, 2020 को डब्ल्यूएचओ के 147वें कार्यकारी बोर्ड में भाग लिया और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को एक वर्ष की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

5.4 माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 20 मई, 2020 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) संबंधी स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

5.5 माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 28 मई, 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित कोविड-19 पर डब्ल्यूएचओ के सूचना सत्र में भाग लिया।

6. विविध:

6.1 बिहार में तीव्र एन्सेफेलोपैथी की समीक्षा करने के लिए माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 01.05.2020 को बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता की।

6.2 टीबी और औषधि प्रतिरोधी टीबी (डीआर-टीबी) के निदान के संबंध में दिनांक 11 मई, 2020 को सभी राज्य क्षय रोग अधिकारियों (एसटीओ)/राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एनआरएल) और इंटरमीडिएट संदर्भ प्रयोगशालाओं (आईआरएल) को मुख्य अनुशंसाएं जारी की गईं। औषधि प्रतिरोधी टीबी निदान हेतु अबाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 14 मई 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेरीफेरल सीबीएनएएटी प्रयोगशालाओं को निरंतर कार्यात्मक बनाए रखने का अनुरोध किया गया।

6.3 दिनांक 12 मई 2020 को डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली की अध्यक्षता में भारत में लेटेंट टीबी संक्रमण प्रबंधन संबंधी तकनीकी कार्य-समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया।

6.4 राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य करने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में कार्यरत मानव संसाधन (चिकित्सा अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स) के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु दिशा-निर्देश अनुमोदित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के लिए सेरोजीकल जांच किटों के अधिप्रापण के विकेंद्रीकरण को भी अनुमोदन दे दिया गया है।

6.5 कायाकल्प के अंतर्गत 33740 केंद्रों, 19986 केंद्रों और 9198 केंद्रों का क्रमशः आंतरिक मूल्यांकन, पीआर मूल्यांकन और बाहरी मूल्यांकन किया गया। कुल 4897 केंद्रों को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 का यह डाटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है।

6.6 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में निम्नलिखित उद्देश्यों से नीचे उल्लिखित वर्चुअल बैठक आयोजित की गई:

(i) उत्कृष्ट परिचर्या, सहायता एवं उपचार केंद्र (सीईओ) की समीक्षा (5 मई, 2020 को आयोजित की गई)।

(ii) ट्रांसजेंडर तकनीकी संसाधन समूह (15 मई, 2020 को आयोजित की गई)।

(iii) मां से बच्चे में एचआईवी के संचरण के उन्मूलन के संबंध में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट स्थिति की समीक्षा और 15 प्राथमिकता वाले राज्यों के चिह्नित जिलों में जिला अंतराल मूल्यांकन (डीजीए) साधनों के कार्यान्वयन की समीक्षा (18, 20 और 22 मई, 2020 के तीन बैचों में आयोजित की गई।

(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अगले चरण में एचआईवी कार्यक्रम की विकेंद्रीकृत निगरानी पर चर्चा (20 मई, 2020 को आयोजित की गई) ।

******